अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम नाम सदीक पुत्र फेफुल के स्थान पर सैयद पुत्र फेफुल भूलंवश दर्ज किया जाना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार यह ताईद होता है कि प्रार्थी का अन्य दस्तावेजात में नाम एवं राजस्व रिकोर्ड में नाम में भिन्नता है। प्रार्थी के नाम राजस्व रिकोर्ड में शुद्ध किया जाता है रिकोर्ड दुरस्ती से सुलभता रहेगीं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थीगण का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में मौजा फरड़ोद के खाता संख्या 166 के खसरा नम्बर 3132/1560 रकबा 3.2133 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार सैयद पुत्र फेफुल के स्थान सदीक पुत्र फेफुल दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: : आदेशः : –

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के स्वीकार किया जाता मौजा फरड़ोद के खाता संख्या 166 के खसरा नम्बर 3132/1560 रकबा 3.2133 हैक्टेयर में दर्ज **सैयद पुत्र फेफुल के स्थान सदीक पुत्र फेफुल दुरूस्त/दर्ज किया जाने का आदेश दिये जाते है। उपरोक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा।** तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

आदेश आज दिनांक 29.10.24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner